विज्ञापन : प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा और नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5 वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

वर्ष 2024-25 के लिए दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति

I. प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग छात्रों (दिव्यांगजन) को **प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा योजनाओं** के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

➢ **आवेदकों के लिए अनुदेश:**

1. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर (लिंक www.depwd.gov.in पर भी उपलब्ध है) या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें ।
2. योजनाओं के ब्यौरे, पात्रता मानदंड और आवेदन भरने के लिए अनुदेश www.depwd.gov.in पर उपलब्ध हैं।
3. बेंचमार्क दिव्यांगजन अर्थात् न्यूनतम 40% दिव्यांगता, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ एक विशिष्ट दिव यांगता पहचान (यूडीआईडी) या यूडीआईडी नामांकन संख्या वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

➢ **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय-सीमा**:

योजना	**आरंभ करने की तारीख**	**अंतिम तिथि**
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.06.2024	31.08.2024
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति	30.06.2024	31.10.2024

नोट: प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी योजनाओं के लिए स्लोट में नए और साथ ही नवीकरण के मामले शामिल हैं। सभी नवीकरण मामलों पर कार्रवाई करने के बाद केवल शेष बचे स्लोटों के लिए ही नए मामलों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से ही एक वर्ष में स्लॉट की निश्चित संख्या के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% स्लॉट का आरक्षण है।

II. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वर्ष 2024-25 के लिए दिव्यांग छात्रों को **राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति** प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

➢ **आवेदकों के लिए अनुदेश:**

1. नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन पूरे वर्ष ऑफ़लाइन प्राप्त किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र भरने के लिए पात्रता मानदंड और अनुदेशों सहित योजना के ब्यौरे www.depwd.gov.in पर उपलब्ध हैं।
3. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय सही सूचना प्रदान करें।
4. बेंचमार्क दिव्यांगजन अर्थात् न्यूनतम 40% दिव्यांगता, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ एक विशिष्ट दिव यांगता पहचान (यूडीआईडी) या यूडीआईडी नामांकन संख्या वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

CBC 38117/11/0008/2425